राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक:एफ21()आरबी/वर्क्स/2022/1397 दिनांक: 08 मार्च, 2023

खुली निविदा सूचना संख्या–16/2022–23

राजभवन जयपुर हेतु 02 नग टावर ए.सी. खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से उपाप्त किये जाने के लिए अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक एवं वित्तीय) पृथक–पृथक लिफाफों में निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं। बोली दस्तावेज एवं बोली की शर्तें मय उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री विवरण को राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक 08.03.2023 को सायं 06.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	आईटम का विवरण	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	राजभवन के उपयोगितार्थ टावर ए.सी. (02 नग) 4.0 TR प्रदाय करने हेतु दर संविदा	2.50 लाख	5000/–	200/–	15.03.2023 1.00 PM	15.03.2023 3.00 PM

उक्त कार्य हेतु खुली बोली मुहरबंद लिफाफे में द्वि–प्रक्रमी बोली पद्धति के अनुसार आमंत्रित की जा रही है। तकनीकी बोली परिशिष्ट –'अ' एवं वित्तीय बोली परिशिष्ट–'ब' में पृथक–पृथक लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम "**टावर ए.सी.** को कार्यालय में निर्धारित दिनांक 15.03.2023 को 01.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी जिसकी तकनीकी बोली उसी दिवस को अपराह्न 03.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी एवं तकनीकी बोली में सफल पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय से पृथक से अवगत कराया जावेगा।

बोली दस्तावेज की राशि का बैंकर्स चैक/ ड्राफ्ट व बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न की जावेगी। बिना बोली दस्तावेज राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल, सचिवालय
दिनांक: 08 मार्च, 2023

क्रमांक:एफ21()आरबी/वर्क्स/2022/1398

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी (IT), राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना दस्तावेज को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर शीघ्र अपलोड कराने हेतु।
4. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), राजभवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल, सचिवालय

परिशिष्ट–'अ'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर
तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम .....
2. डाक का पता .....
   .....
   .....
3. फोन/मोबाईल नं. .....
4. ई–मेल .....
5. बैंक का नाम .....
   IFSC Code .....
   खाता संख्या .....
6. बोलीदात द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तोवेजों के साथ संलग्न करनी होगी :–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	माल एवं सेवाकर (GST)				
2.	आय कर (पैन नम्बर)				

7. बोलीदाता द्वारा गत 3 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21 व 2021–22) का औसत टर्नओवर न्यूनतम रूपये 5.00 लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट अकाउन्टेंट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न आवश्यक है।
8. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का eGRAS Challan से राज्यपाल सचिवालय के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराना होगा तथा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली के साथ मूल ही प्रस्तुत करना होगा।
9. उपाप्त की जाने वाली समाग्री का बोलीदाता उत्पादक/मैक कम्पनी का अधिकृत वितरक/डीलर/विक्रेता होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. मैं/हम राज्यपाल सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकःएफ21()आरबी/वर्क्स/2022/.... ..... दिनांक 03.03.2023 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
11. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली एक लिफाफे में मुहरबंद होगी जिस पर "तकनीकी–वाणिज्यिक बोली" लिखा होगा। वित्तीय बोली प्रपत्र को छोडकर शेष बोली दस्तावेज मय बोलीदाता के हस्ताक्षर तकनीकी–वाणिज्यिक बोली के साथ उक्त लिफाफे में मुहरबंद होगी। वित्तीय बोली को पृथक लिफाफे में मुहरबंद कर प्रस्तुत करनी होगी जिस पर "वित्तीय बोली" लिखा होगा।
12. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

कन्ट्रोलर

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सहायक सचिव

परिशिष्ट–'स'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही अधिभावी होंगे।
2. उपाप्त की जाने वाली सामग्री की प्रस्तावित संख्या में नियमानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। उक्त आईटम की संख्या/मात्रा में वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवदेक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
3. बोली की विधि मान्यता तकनीकी–वाणिज्यिक बोली की जमा की अंतिम तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
4. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
5. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
6. **मूल्यांकन की कसौटी –** तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में से न्यूनतम दर के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
7. **बोलीयों का अपवर्जन** :– "अधिनियम" की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
8. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क eGRAS Challan से अथवा वित्तीय सलाहकार राज्यपाल सचिवालय, राजभवन के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकती है। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–
   (i) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
   (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता हैं।
   (iii) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
   (iv) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में उपापन की विषयवस्तु प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
   (v) यदि बोली लगाने वाला "अधिनियम" और इन "नियम" के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा (Code of intergrity) की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
9. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
   (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सामग्री की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. 17 प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
   (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण

रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–
    a) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
    b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    c) जब सफल बोलीदाता वार्षिक अनुरक्षण का कार्य संतोषप्रद नहीं करता है।
    d) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
11. भुगतान :– सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
12. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damage):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी निकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–
    (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%
    (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए – 5%
    (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5%
    (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10%
    (ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
    (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
    (छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारिख के बाद करेगा।
    (ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
13. दरें :–
    (i) वित्तीय बोली में दरें शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
    (ii) वित्तीय बोली की दरें पृथक से परिशिष्ट 'ब' में अंकित करें।
    (iii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–
    (क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य मे सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होगें और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तक तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार से रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावें।

(v) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण तथा इन्टॉलेशन उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(vii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।

(viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली तथा अनुरक्षण कार्य के बिना प्रस्तुत दरें मान्य नहीं होगी जिसके आधार पर बोली निरस्त की जा सकेगी।

14. <u>स्पेसिफिकेशन :–</u>

(i) प्रदाय की जाने वाली वस्तु बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो में जहां कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदातओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथाचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी।

15. <u>निरीक्षण एवं परीक्षण :–</u>

(i) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहां आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जा

सकेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

(ii) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

16. **माल की सप्लाई :–**

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बेलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर गन्तव्य स्थल (FoR) राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, में ही अन्यत्र स्थान पर, जैसा भी निर्देशित किया जावे, भेजा जाएगा।

17. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period) :–** जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली दस्तावेज में अंकित आपूर्ति अवधि में सामग्री की आपूर्ति करेगा। आपूर्ति अवधि, विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

18. **बीमा :–** बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगें। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

19. बोली दस्तावेज तथा निबंधन एवं शर्तों के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई/समस्या होने पर प्रभारी (आई.टी.) राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

बिड़दाता के हस्ताक्षर
मय सील

कन्ट्रोलर

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सहायक सचिव

उपाप्त की जाने वाली सामग्री का विवरण

क्र. सं.	आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा/नग	अनुमानित राशि रूपये	विशिष्टयां/टिप्पणी/स्पेसिफिकेशन	नमूना अनिवार्य हाँ/नहीं
1.	राजभवन के उपयोगितार्थ टावर ए.सी. 4.0 TR प्रदाय करने हेतु दर संविदा	02	2.50 Lac	As per attached Annexure -1	नहीं

नोट :–

A. उपर्युक्तानुसार सामग्री हेतु बोलीदाता संबंधित आईटम का उत्पादक/मेक कम्पनी का अधिकृत वितरक/डीलर/विक्रेता होना चाहिए।

B. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस की अवधि के भीतर की जानी होगी।

बिड़दाता के हस्ताक्षर
मय सील

कन्ट्रोलर

वरिष्ठ लेखाधिकारी

सहायक सचिव

Annexure -1

उपाप्त की जाने वाली सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन

Supply of 4 TR Air Cooled Floor standing Tower split Air conditioners complete with Indoor unit (IDU), Out door unit (ODU), surface/concealed copper Refrigerant piping with insulation (closed cell elastomeric nitrile rubber tubhular pipe section) upto 3 Mtr (IDU to ODU), copper power cabel upto 3.5 Mtr (IDU to ODU), R-32/R-410 Green Refrigerant, wireless Remote control, suitable for working between 415 V +/-10%, 3 Phase 50 Hz AC Supply with low & high voltage cutoff and capable of performing cooling, dehumidification, air circulation of following capacity with Scroll/rotary compressor,

परिशिष्ट–'द'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं की हमारे द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है तथा ''अधिनियम'' की धारा–46 एवं 'नियम' के नियम –39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन द्वारा पात्रता के लिये विवर्जित नही किया है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ' 'ब' 'स' 'द' एवं अनुलग्न 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' तथा बोली आमन्त्रण सूचना को पूर्ण रूप से पढ़ कर समझ लिया है। मेरे द्वारा इन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से अपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

Annexure A: Compliance with the Code of Integrally and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

i. not offer any. bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

ii. Not misrepresent or molt that misleads or all empts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

iii. Not Indulge In any callusing, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

iv. Not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage In the procurement processes;

v. Not Indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

vi. Not obstruct and Investigation or audit of a procurement process;

vii. Disclose conflict of interest, if any; and

viii. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by and other procuring entity

Conflict of Interest:-

The Bidder participation in a bidding process must not have a confect of interest.

A Conflicts of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations or compliance it he applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with cash other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or incidence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding processor
   e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification for all Bids in Which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion to the same subcontractor, not otherwise participation as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of fits affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical speciation's of the Goods, Works or Services that are the subject to the Bid; or
   g. Bidder are any of its affiliates has been dried (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-en-change/consultant for the contract.

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | सहायक सचिव

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice inviting Bids No.....Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012,that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affiants administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject or legal proceedings or any of the fore going reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a confect of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder:
Name :
Designation :
Address :

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | सहायक सचिव

Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is .....
The designation and address of the Appellate Authority is .....

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is In contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an allele to First Appellate Authority, as specified In the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he fells aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has articulated in Procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of with In thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed with in the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document In behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity rotating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment or fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demana draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate authority, as the case may be, shall,-
    i. Hear all the parties to appeal present before him; and
    ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) A fret hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

वरिष्ठ लेखाधिकारी कन्ट्रोलर सहायक सचिव

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the init price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit priese or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at5 the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | सहायक सचिव

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012

Appeal No.....of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Official address, if any:
   iii. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   i.
   ii.
   iii.
3. Name and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is represented
4. If the appellant proposes to be represented By a representative, the name and postal address Of the representative:
5. Number of affidavits and documents cycled with the appeal:

Grounds

6. .....
   .....
   (Supported by an affidavit)
7. Prayer:.....
   .....
   Place.....
   Date.....
   Appellant's Signature

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .....माह ..... सन् 2022 को एक पक्ष के..... (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के ..... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ..... में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. एवं चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपये ..... की राशि .... निम्न प्रकार से जमा करायी है:
   i. "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";
   ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
   iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।
   v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत
   जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर..... के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता ..... और उसके ..... में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या ..... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या ..... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्वुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार ..... के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

4. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से On Line की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:—

i. बैंक का नाम एवं पता :—.....

ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :—.....

iii. बैंक खाता संख्या :—.....

iv. बैंक IFSC कोड नं :—.....

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगीः–

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणीः (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदी प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक ..... माह ..... सन् 2022 को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

वरिष्ठ लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **सहायक सचिव**

परिशिष्ट–'ब'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर
(वित्तीय बोली)

वित्तीय बोलीदाता का नाम .....

पूरा पता .....

फोन नं. .....मोबाईल नं. .....

ई–मेल का पता .....

नोट :– पृथक लिफाफे में, जिस पर "वित्तीय बोली" अंकित हो, प्रस्तुत किया जावे।

क्र. सं.	आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा / नग	दर प्रतिनग रू. (अंको में) (बिना जीएसटी)	जीएसटी प्रतिनग रू. (अंको में)	कुल दर प्रति नग जीएसटी सहित रू. (अंकों में) (4–5)	कुल दर जीएसटी सहित रू. (अंकों में) (3*6)	प्रस्तावित आईटम का मेक व मॉडल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजभवन के उपयोगितार्थ टावर ए.सी. 4.0 TR प्रदाय करने हेतु दरें (According to Specification mentioned in Annexure-1)	02 नग					

Note:
1. वित्तीय बोली पृथक से मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है जिस पर "वित्तीय बोली टावर ए.सी दर संविदा का नाम अंकित किया जाना है।
2. उक्त सभी दरें FOR राजभवन होगी।
3. वित्तीय बोली में दरें अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि उपर्युक्त वित्तीय बोली प्रपत्र के कॉलम संख्या 2 में जो विशिष्टयां / स्पेसिफिकेशन अंकित किया है, के अनुसार ही सामग्री की दरें वित्तीय बोली में अंकित की जावें एवं प्रस्तावित सामग्री का मेक व मॉडल अवश्य अंकित करें।
4. उपर्युक्त उपापन हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या वृद्धि संभव हैं।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव